(वाद सं०– 1238/4/21/2022)

12.01.2023

प्रसंगाधीन मामला **परिवादी कामेश्वर प्रसाद सिंह**, के वृद्धावस्था पेन्शन के भुगतान से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि उसे मई 2021 तक देना बैंक, मधेपुर शाखा के माध्यम से वृद्धावस्था पेन्शन मिल रहा था। जून 2021 के बाद से उसका पेन्शन का भुगतान बंद हो गया है। परिवादी का कथन है कि उसके बकाया पेन्शन व अद्यतन पेन्शन को उसके India Post Payment Bank, मधुबनी शाखा से भुगतान हेतु निर्देशित किया जाय।

उक्त पर राज्य मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–29.03.2022 को **जिला पदाधिकारी, मधुबनी** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, मधुबनी** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी के जून 2021 से अप्रैल 2022 के बकाया पेन्शन व अद्यतन पेन्शन के भुगतान हेतु D.B.T. कोषांग, सक्षम बिहार, पटना को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुर की अनुशंसा के आधार पर भेजा जा चुका है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि उसके बकाया वृद्धावस्था पेन्शन का भुगतान कर दिया गया है, साथ ही साथ अद्यतन पेन्शन का भी भुगतान उसे हो रहा है। उसकी ओर से अनुरोध किया गया है कि प्रसंगाधीन परिवाद को संचिकास्त कर दिया जाय।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में

प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 14–11/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक